MP Board Class 7th Social Science Solutions Chapter 16 राज्य की सरकार

प्रश्न 1.
निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए –
(1) हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या है –
(अ) 29
(ब) 27
(स) 35
(द) 25।
उत्तर:
(अ) 29

(2) विधानसभा का कार्यकाल होता है –
(अ) 6 वर्ष
(ब) 4 वर्ष
(स) 10 वर्ष
(द) 5 वर्ष।
उत्तर:
(द) 5 वर्ष

(3) राज्य सूची में कुल विषय सम्मिलित हैं –
(अ) 97
(ब) 62
(स) 42
(द) 22।
उत्तर:
(ब) 62

प्रश्न 2.
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
(1) विधानसभा के सदस्य को .... कहते हैं।
(2) विधानसभा की बैठकों की कार्यवाही का संचालन .... द्वारा किया जाता है।
(3) मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या .... है।
(4) विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा .... वर्ष है।
उत्तर:
(1) विधायक या विधानसभा सदस्य
(2) विधान सभा अध्यक्ष
(3) 230
(4) 25 वर्ष।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 3.
(1) विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव कानून कब बन जाता है ?
उत्तर:
राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव कानून बन जाता है।

(2) भारतीय संविधान में उल्लेखित विषय सूची के नाम बताइए।
उत्तर:
भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित सूचियाँ

- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची, तथा
- अवशिष्ट विषय सूची।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 4.
(1) विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित अर्हताएँ कौन-कौन सी हैं ?
उत्तर:
विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित अर्हताएँ निम्नलिखित हैं –

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- वह दिवालिया अथवा पागल न हो।।
- वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो।

(2) विधानसभा के गठन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
मध्य प्रदेश की विधानसभा हेतु 230 स्थान निर्धारित हैं। एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र का विधायक हो सकता है। उपरोक्त स्थानों के लिए भारत का चुनाव आयोग केन्द्र व राज्य सरकार के परामर्श से एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें चुनाव की तिथियाँ घोषित की जाती हैं। इन तिथियों में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन फार्म भरे जाने, नाम वापस लिए जाने, मतदान एवं मतगणना की तिथि आम जनता को बताई जाती है। चुनावों का संचालन चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। चुनाव आयोग द्वारा सभी चुने हुए विधायकों की सूची घोषित करने पर विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।

(3) विधानसभा के कार्य व शक्तियों को समझाइए।
उत्तर:
विधानसभा के दो मुख्य कार्य हैं –

https://www.evidyarthi.in/

1. कानून बनाना, तथा
2. वित्तीय कार्य (बजट को स्वीकृति प्रदान करना)।

1. कानून बनाना:
विधानसभा को राज्य सूची में वर्णित । सभी 62 विषयों पर राज्य की आवश्यकतानुसार कानून बनाने का अधिकार है। सरकार द्वारा सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जिस पर चर्चा होती है। विचार विनिमय के पश्चात् सदन उस विधेयक को पारित करता है। सदन द्वारा पारित विधेयक को। राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजा जाता है। राज्यपाल आवश्यकता होने पर उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति अथवा। राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है।

2. वित्तीय कार्य:
विधानसभा राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। प्रतिवर्ष विधान सभा में वित्तमन्त्री द्वारा राज्य का आय-व्यय विधेयक (बजट) प्रस्तुत होता है। विधानसभा द्वारा बजट पारित होने पर इसे राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद सभी वित्तीय कार्य संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त विधान सभा कार्य विभिन्न माध्यमों से जनहित के कार्यों, सरकारी योजनाओं, विभागीय कार्यवाहियों आदि के सम्बन्ध में जानकारियाँ प्राप्त करना है।

विधानसभा की शक्तियाँ:
विधान सभा सरकारी विभागों द्वारा किए गए कार्यों पर नियन्त्रण रखती है। यह कार्य विधानसभा सदस्य विभिन्न प्रस्तावों के माध्यमों से करते हैं। ऐसे प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्न पूछना, बजट में कटौती प्रस्ताव आदि हैं। गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है।